रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-214/2021/2049/22-2-2021-17(448)/2018

लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम सिंह (बन्दी संख्या-2015/2017) पुत्र श्री मुखत्यार सिंह, निवासी-कल्लरपुर गुर्जर, थाना-रामपुर मनिहारान, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-69/2015, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 427 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-4, सहारनपुर के आदेश दिनांक 15.04.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त बंदी दिनांक 20.04.2021 तक 07 वर्ष 01 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 01 माह 16 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा एवं सन्तोषजनक जेल आचरण तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु 71 वर्ष होने, अपरिहार सजा 07 वर्ष 01 माह 04 दिन तथा सपरिहार 08, 01 माह, 16 दिन की भोग गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जालौन के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-214/2021/2049(1)/22-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in